संख्या- 64/2025/460/35-4-2025/35-4002/1/2023

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में.

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या प्रभाग,
लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 06 मई, 2025

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत "प्रदेश की अर्थव्यवस्था वन ट्रिलियन डॉलर के स्तर पर लाया जाना" योजना के संचालन हेतु प्रावधानित की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप **संख्या- 6/2025/ बी-1-352/10-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025** के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में "प्रदेश की अर्थव्यवस्था वन ट्रिलियन डॉलर के स्तर पर लाया जाना" योजना के संचालन हेतु प्राविधानित धनराशि रू० 3081.00 लाख (रुपये तीस करोड़ इक्यासी लाख मात्र) को **अनुदान संख्या 040 के "लेखाशीर्ष 3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 07-प्रदेश की अर्थव्यवस्था वन ट्रिलियन डॉलर के स्तर पर लाया जाना"** के सुसंगत इकाईयों के अंतर्गत संलग्न विवरण में उल्लिखित मदों के समक्ष अंकित धनराशि-सीमा सहित वचनबद्ध एवं आवश्यक व्ययों का वहन करने हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।
2. इस संबंध में होने वाला व्यय समस्त वित्तीय नियमों एवं स्थाई आदेशों के अनुसार किया जायेगा। धनराशि के प्रदेशन मात्र से व्यय करने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है, जहाँ सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अपेक्षित हो, व्यय करने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा आवंटित धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय।
3. विभिन्न मदो के अंतर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित / वितरित धनराशि के सापेक्ष किए गए व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
4. व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/ निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानी (स्टैंडर्डस आफ फाइनेनसियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

5. आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल व्यय / भुगतान की आवश्यकता होने पर ही किया जाय।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप **संख्या- 6/2025/ बी-1-352/10-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025** में दिए गए निदेशों / शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।
7. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान कार्यालय महालेखाकार, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जाय तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन अनुभाग 4 को प्रेषित किया जाय।
8. नियोजन अनुभाग-4 के आदेश सं0-1499/35-4-2022 दिनांक-25 नवम्बर,2022 की अक्षरशः पालन किया जाये।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान संख्या 040 के लेखाशीर्ष "3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 001-निदेशन तया प्रशासन, 07-प्रदेश की अर्थव्यवस्था वन ट्रिलियन डॉलर के स्तर पर लाया जाना के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप **संख्या- 6/2025/ बी-1-352/10-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025** में प्रतिनिधानित अधिकारों के अंतर्गत निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव

संख्या- 64/2025/460(1)/35-4-2025/35-4002/1/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5, उ०प्र०शासन।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 64/2025/460(1)/35-4-2025/35-4002/1/2023 दिनांक 30.4.2025 का संलग्नक-

धनराशि (रू0 लाख मे)

क्र0सं0	मद	वित्तीय वर्ष 2025 - 26 हेतु अनुमोदित बजट
1.	08-कार्यालय व्यय	5.00
2.	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	2.00
3.	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5.00
4.	15- गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	10.00
5.	16- व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	3000.00
6.	42-अन्य व्यय	50.00
7.	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1.00
8.	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	5.00
9.	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बंधी स्टेशनरी का क्रय	2.00
10.	58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1.00
	योग	**3081.00**

(रूपये तीस करोड इक्क्यासी लाख मात्र)

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।